मानवाधिकार रक्षकों पर संयुक्त राष्ट उदघोषणा

विश्व स्तर पर मान्य मानवाधिकार एंव मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा व विकास के लिए कार्यरत व्यक्तियो, समूह एंव सामाजिक अंगो के अधिकार व दायित्व के सदर्भ में उदघोषणा

साधारण सभा संकल्प 53/144
दिनांक 9 दिसम्बर 1998

हिन्दी / Hindi

Printed by FORUM-ASIA Translated by People's Watch

साधारण सभा संकल्प 53/144
दिनांक 9 दिसम्बर 1998

विश्व स्तर पर मान्य मानवाधिकार एंव मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा व विकास के लिए कार्यरत व्यक्तियो, समूह एंव सामाजिक अंगो के अधिकार व दायित्व के सदर्भ में उदघोषणा

मानवाधिकार रक्षकों पर संयुक्त राष्ट उदघोषणा

हिन्दी / Hindi

ISBN:

Copyright © 2010

Cover/Layout:
skinner+kluke

Translated by:
People's Watch (PW)
6A, Vallabhai Road
Chokkikulam, Madurai – 625002
India

www.pwtn.org

Printed by:
Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
12th Floor, Room 12-01
Times Square Building
246 Sukhumvit Road
Khlong Toei, Khlong Toei
Bangkok, 10110
Thailand

www.forum-asia.org

This book was written for the benefit of human rights defenders and may be quoted from or copied so long as the source and authors are acknowledged.

साधारण सभा संकल्प 53/144 दिनांक 9 दिसम्बर 1998

विश्व स्तर पर मान्य मानवाधिकार एंव मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा व विकास के लिए कार्यरत व्यक्तियो, समूह एंव सामाजिक अंगो के अधि ाकार व दायित्व के सदर्भ में उदघोषणा

साधारण सभा,

अभिपुष्टि– विश्व के सभी देशो में सभी मानव अधिकारो व मौलिक स्वतत्रंता की रक्षा व उन्नति कि लिए सयुक्त राष्ट् के चार्टर के उद्देश्यो व सिद्वांतो के पालन के महत्व की पुनः अभिपुष्टि करती है।

अभिपुष्टि– मानव अधिकार की वैश्विक उद्घोषणा और मानव अधिकार संकल्प 2200ए (21) सलंग्नक की प्रसं. विदा के महत्व को मानव अधिकार व मौलिक स्वतन्त्रता के संरक्षण एंव वैश्विक समादर को प्रोत्साहित करने वाले

आधार भूत अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास के रूप में अभिपुष्टि करती है। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था एंव उसी प्रकार क्षेत्रिय स्तर पर अपनाये जाने वाले उपकरणों के महत्व की भी अभिपुष्टि करती है।

जोर देती है– अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों से संयुक्त रूप से और अलग–अलग अपने दायित्व को पुर्ण सत्य निष्ठा से पालन करने पर सधारण सभा जोर देती है कि वे मानव अधिकारों एंव मौलिक स्वतंन्त्रता के आदर को प्रोत्साहित करने एंव उन्नत करने की दिशा में हर प्रकार के भेद भाव, जिसमें नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक विचार धारा, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म या अन्य स्तर का भेद–भाव सम्मिलित है, के बिना अपने दायित्वों की पूर्ति करे और चार्टर के मुताबिक दायित्व पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के महत्व की भी अभिपूष्टी करती है।

अभिस्वीकृति– साधारण सभा व्यक्तियों, दलों एंव संस्थ. ाओं के योगदान और उनके द्वारा किये गये महत्वपूण र्ा कार्यों के लिए प्राप्त होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व की अभिस्वीकृति करती है, जो मानव अधिक. ारों एंव व्यक्तियों की मौलिक स्वतन्त्रता के उल्लंघन के निराकरण, जिसमें व्यापक स्तर पर गंभीर एंव व्यवस्थित उल्लंघन भी संम्मिलित है, जिसके परिणाम स्वरूप रंग भेद तथा हर प्रकार के नस्लीय भेद भाव, उपनिवेश

वाद, विदेशी या व्यवसायिक प्रभुत्व, राष्ट्रीय सम्प्रभुत्ता व राष्ट्रीय एकता या अखंण्डता को हर प्रकार की धमकी एंव व्यक्तियों के स्व–निशचय व उनके संपूर्ण धन व प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार की पूर्ण संप्रभुत्ता व मान्यता से इनकारी जैसे उल्लंघन उत्पन्न हुए।

मान्यता– साधारण सभा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एंव सुरक्षा और मानव अधिकारों एंव मौलिक स्वतंन्त्रता के उपभोग के बीच संबन्धों को मन्यता देती है और उल्लेखित करती है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एंव सुरक्षा पालन वि. हन्ता के लिए क्षमा का आधार नहीं होगा।

दौहराती है– साधारण सभा मानव अधिकारों एंव मौ. लिक स्वतन्त्रताओं को वैश्विक, अविभाज्य, अन्तर्आधारित एंव अर्न्तसंबन्धित होने के तथ्य को दौहराती है तथा यह सभी अधिकार निष्पक्ष रूप से समानता के साथ एंव पूर्वाग्रहरहित होकर लागू किये जाने चाहिए।

जोर देती है– मानव अधिकारों एंव मौलिक स्वतन्त्रताओं की रक्षा करना और इन्हे उन्नत करना राज्य का प्राथ. मिक दायित्व है।

मान्यता देती है– मानव अधिकारों के ज्ञान एंव आदर को उन्नत करने के ज्ञान को राष्ट्रीय एंव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने का दायित्व व अधिकार व्यक्ति, समुह और संस्थाओं का है।

अनुच्छेद 1

प्रत्येक को यह अधिकार है, व्यक्तिगत तथा दूसरों के साथ, कि वह राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं की संगरक्षणा व अनुभूति के लिए प्रोत्साहित व संघर्ष करें।

अनुच्छेद 2

1. हर राज्य की यह मूल भूत जिम्मेदारी व कर्तव्य है कि वह समस्त मानवाधिकारों व मूल भूत स्वतन्त्रताओं को लागू व प्रोत्साहित करें। ऐसे कदम उठायें जो कि समस्त ऐसी स्थिति को बनाये जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा अन्य क्षेत्रों में कारगर हो व जरूरी साथ ही वे समस्त कानूनी शर्तें जो यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं कि सभी व्यक्ति अपने राज्य क्षेत्र में, व्यक्तिगत तथा दूसरों के साथ सामूहिक रूप से सभी अधिकारों व स्वतन्त्रता का उपभोग करने योग्य हो।

2. हर राज्य ऐसे प्रशासनिक, वैधानिक व अन्य कदम उठायेगा जो वर्तमान घौषणा पत्र से संबन्धित अधिकारों व स्वतन्त्रताओं को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

अनुच्छेद 3

घरेलू कानून, जो मानवाधिकार तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं के क्षेत्र में संयूक्त राष्ट्र के शासन पत्र तथा अन्य राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय औपचारिकताओं के अनुरूप है, एक न्यायिक ढांचा है, जिसके अन्तर्गत मानवाधिकार तथा मूल भूत स्वतन्त्रताऐं लागू की जानी चाहिए, जिसमें उन अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं के प्रभावपूर्ण संरक्षण तथा प्रोत्साहन के लिए सभी कियाकलापों जो वर्तमान घौषणा पत्र से संबन्धित हैं का संचालन किया जाये।

अनुच्छेद 4

वर्तमान घौषणा पत्र से यह अनुमान नहीं लगाया जायेगा कि इसकी कोई भी बात संयुक्त राष्ट्र के शासन पत्र के किसी भी उद्देश्य या सिद्धान्त के विरोधाभाषी या क्षीण करने वाली है अथवा यू.डी.एच.आर. के किसी भी उपबन्ध ाों, मानवाधिकारों पर दो अन्तर्राष्ट्रीय शर्तें तथा अन्य अर्न्राष्ट्रीय वादे व उपकरण जो भी इस क्षेत्र में लागू हो, को सीमित व अनादर करने के लिए है।

अनुच्छेद 5

प्रत्येक को, राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत व दूसरों के साथ, मानवाधिकारों और मूल भूत स्वतन्त्रताओं को प्रोत्साहित व संरक्षित करने के उद्देश्य से, निम्न लिखित अधिकार है:–

1. शान्तिपूर्वक मिलना या एकत्र होना।

2. किसी गैर सरकारी संस्थाओं, संघो अथवा समूहों का निमार्ण, उसमें जूड़ना व भाग लेना।

3. गैर सरकारी अथवा अन्तर सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क रखना।

अनुच्छेद 6

प्रत्येक को यह अधिकार है व्यक्तिगत तथा दूसरों के साथ कि:–

1. समस्त मानवाधिकारों तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं के बारे में जानकारी प्राप्त, एकत्र, हांसिल तथा वहन करना, जिसमें ऐसी जानकारियों तक पंहुच भी सम्मिलित हैं जो उन अधिकारों व स्वतन्त्रताओं से सम्बन्धित हैं जो घरेलू विधान, न्यायिक व प्रशासनिक तन्त्रों को प्रभावी बनाते हैं।

2. जैसा कि मानवाधिकारों तथा अन्य प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय उपकरणों में उपबन्धित किया गया है, समस्त मानवाधिकारों तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं पर दूसरो के विचार, जानकारी व ज्ञान को प्रदक्त, छापने अथवा प्रसार की स्वतन्त्रता।

3. समस्त मानवाधिकारों तथा मूलभूत स्वतन्त्रताओं, दोंनों कानूनी व कियान्वित रूप की अनूपालना पर अध्ययन, चर्चा तथा मत बनाना तथा ऐसे व अन्य उपयुक्त माध्यमों से लोगों का ध्यान इन मुद्‌दो की ओर आकर्षित करना।

अनुच्छेद 7

प्रत्येक को यह अधिकार है, व्यक्तिगत व दूसरों के साथ कि वह नये मानवाधिकार सम्बन्धित विचार व सिद्धान्तों को विकसित कर उन पर चर्चा करें तथा अपने विचारों की मान्यताओं की वकालत करें।

अनुच्छेद 8

1. प्रत्येक को यह अधिकार है, व्यक्तिगत व दूसरों के साथ कि वह अभेदभाव पूर्ण आधार पर अपने देश की सरकार में सहभागिता व लोक कार्य में संचालन तक प्रभावी पंहुच रख सकें।

2. लोक कार्यो से जुड़ी सरकारी संस्थायें व ऐजन्सियों के समक्ष आलोचना व सुझाव प्रस्तुत करने का अधिकार व्यक्तिगत व दूसरों के साथ भी समिलित हैं जो उनकी कार्यशीलता को बढ़ाने के लिए व उनका ध्यान उन्ही ं के किसी कार्यविशेष की तरफ आकृष्ट करने के लिए लाभकारी हो, जो मानवाधिकारों व मूलभूत स्वतन्त्रताओं के प्रोत्साहन संरक्षणा व कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हो।

अनुच्छेद 9

1. मानवाधिकारों व मूलभूत स्वतन्त्रताओं के कियान्वयन में जिसमें मानवाधिकारों के . प्रोत्साहन व संरचना सम्मिलित है प्रत्येक को व्यक्तिगत व दूसरों के साथ यह अधिकार है कि उन्हें उन अधिकारों का हनन होने पर संरक्षण व प्रभावी उपचार का फायदा मिले।

2. वो सभी, जिनके अधिकार व मूल भूत स्वतन्त्रताओं का हनन हुआ है उन्हें यह अधिकार है, व्यक्तिगत कानून्न प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कि वह इस की शिकायत कर सके तथा इन शिकायत का त्वरित रूप से अवलोकन जन सुनवाई में एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा सक्षम न्यायिक अथवा कानूनी रूप से संस्थापित प्राधि ाकारी के समक्ष किया जाये तथा उसे ऐसे प्राधिकरण

से कानून के अनूरूप निर्णय मिले जो उसे हर्जाना व मुआवजा प्रदान करें।

3. प्रत्येक को यह अधिकार है व्यक्तिगत व दूसरों के साथः—

अ. व्यक्ति विशेष अधिकारी तथा सरकारी संस्था की योजना व किर्यान्वयन के विरूद्ध मानवाधिकारों तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं के हनन के संम्बन्ध में शिकायत, किसी याचिका अथवा अन्य युक्ति युक्त साधनों द्वारा, सक्षम घरेलू न्यायिक, प्रसाशनिक अथवा वैधानिक प्राधि ाकरण अथवा कानूनी रूप से संस्थापित प्राधिकारी के समक्ष कर सकें जो इस शिकायत का निर्धारण त्वरित रूप से करें।

ब. जन सुनवाईयों, कार्यवाहियों व विचारणों में उप. स्थित होने का अधिकार ताकि वे राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय औपचारिकताऐं तथा वचनबद्धता की पालना पर अपने मत बनायें।

स. मानवाधिकारों तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं के बचाव के लिए अपने पेशेवर योग्य कानूनी सलाह अथवा अन्य सम्बन्धित सलाहें व सहयोग प्रदान करने का अधिकार।

4. प्रभावित अन्तर्राष्ट्रीय उपकरणों व विधि के अनुसार प्रत्येक को यह अधिकार है व्यक्तिगत व दूसरों के साथ, कि वह बिना किसी रूकावट के अन्तर्राष्ट्रीय निकायों से

आम अथवा विशेष योग्यता के साथ मानवाधिकारों तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं के मामलों के सम्बन्ध में सम्पर्क कर सकें।

5. राज्य को जब भी विश्वास योग्य आधार मिलेगा कि उसके क्षेत्राधिकार में किसी प्रदेश में मानवाधिकार तथा मूल भूत स्वतन्त्रता का हनन हुआ है तो वह इसके सम्बन्ध में त्वरित व निष्पक्ष अन्वेक्षण अथवा जांच करवायेगा।

अनुच्छेद 10

कोई भी ऐसे किसी भी कार्य या उसके प्रयास में भ. ागिदार नहीं होगा जिससे मानवाधिकार और मूल भूत स्वतन्त्रता का हनन हो तथा किसी को भी ऐसे किसी कार्य को मना करने पर सजा अथवा प्रतिकूल कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अनुच्छेद 11

प्रत्येक को यह अधिकार है व्यक्तिगत व दूसरों के साथ कि वह अपने व्यवसाय अथवा पेशे का विधिक रूप से किर्यान्वयन कर सके। प्रत्येक जिसके पेशे अथवा व्यवसाय का असर दूसरों के मानव सम्मान, मानवाधि

ाकार तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं पड़ता हो, वे उन अधि ाकारों व स्वतन्त्रताओं का सम्मान करेंगे तथा सम्बन्धित राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसायिक व पेशेवर मूल्यों के मापदण्डों का पालन करेंगे।

अनुच्छेद 12

1. प्रत्येक का यह अधिकार है, व्यक्तिगत व दूसरों के साथ, कि वह मानवाधिकारों व मूल भूत व स्वतन्त्रताओं के हनन शान्ति पूर्ण कार्यो में हिस्सा ले सकें।

2. राज्य ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठायेगा जो सक्षम अधिकारिकताओं द्वारा सभी को उनके वर्तमान घोषण ाा पत्र से संबन्धित विधिक अधिकारों के कियान्वयन के फलस्वरूप पैदा हुई हिंसा, खतरे, प्रतिकार, प्रतिकूल भेद भाव, दबाव अथवा अन्य किसी मनमानी कार्यवाही के विरूद्ध संरक्षण को सुनिश्चित करें।

3. इस संदर्भ में, प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से व दूसरों के साथ इस बात का हकदार है कि वह राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत, किसी कार्यवाही अथवा कार्य के विरूद्ध शान्ति पूर्ण माध्यमों द्वारा विरोध दर्शाने पर प्रभावी रूप से संरक्षित हो। इसमें राज्य के वो विलोपन भी शामिल हैं जिसके फलस्वरूप मानवाधिकारों तथा मूल

भूत स्वतन्त्रताओं का हनन हो साथ ही वो समस्त हिंसा के कार्य जो किसी समूह अथवा व्यक्तियों द्वारा किया गया हो जिसका असर मानवाधिकार अथवा मूलभूत स्वतन्त्रता के कियान्वयन पर पड़े।

अनुच्छेद 13

प्रत्येक को यह अधिकार है, व्यक्तिगत तथा दूसरों के साथ, वर्तमान घोषणा पत्र के अनुच्छेद 3 के अनुसार, मानवाधिकारों तथा मूल भूत स्वतन्त्रता के प्रोत्साहन व संरक्षण के लिए शान्ति पूर्वक किसी संसाधन के लिए निवेदन, उसका उपयोग तथा उसको प्राप्त करें।

अनुच्छेद 14

1. राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह वैधानिक, न्यायिक, प्रसाशनिक अथवा अन्य युक्तियुक्त उपाय करें जिससे उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को उनके दीवानी, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति सजगता व समझ का प्रोत्साहन मिले।

2. ऐसे उपाय यह सम्मिलित करेंगे :–

अ. राष्ट्रीय कानूनों तथा नियमन तथा मौलिक आन्तर्राष्ट्रीय उपकरणों की उपलब्धता व प्रकाशन। ब. मानवाधिकारों के क्षेत्र में दस्तावेजों तक पूर्ण व समान पंहुच, जिसमें राज्य की अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों द्वारा स्थापित निकायों को मियादी रिपोर्ट भी शामिल है, साथ ही ऐसे निकायों की कार्यालयों तथा चर्चा सम्बन्धित अभिलेखों का सार।

3. राज्य जहां पर भी युक्ति युक्त हो स्वतन्त्र राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण व विकास को सहयोग सुनिश्चित करेगा जो मानवाधिकार तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं को उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रदेशों में प्रोत्साहित व संरक्षित करती है।

अनुच्छेद 15

राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह मानवाधिकारों तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं की शिक्षा के समस्त स्तरों पर प्रा. ेत्साहित व उपलब्ध करायें। तथा यह सुनिश्चित करें कि ऐसे समस्त लोग जो वकिलों, कानून प्रवृत अधिकारियों, सैना के अधिकारी लोक अधिकारी के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार हैं वे अपनी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मानवाधि ाकार शिक्षा को युक्ति युक्त ढंग से सम्मिलित करें।

अनुच्छेद 16

व्यक्ति, गैर सरकारी संस्थायें तथा सम्बन्धित संस्थायें लोगों को मानवाधिकारों तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं से संबन्धित समस्त प्रश्नों के प्रति शिक्षा, प्रशिक्षण, व शोध के माध्यम से जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। तथा साथ ही समस्त धार्मिक व जातिय समूहों में समझदारी, सहिष्णुता, शान्ति व दोस्ताने रिश्ते का निर्माण करने में, जिसमें वह समाजिक व सामुदायिक परिपेक्ष को ध्यान में रखे।

अनुच्छेद 17

वर्तमान घोषणा पत्र से सम्बन्धित अधिकारों व स्वतन्त्रताओं के कियान्वयन के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से तथा दूसरों के साथ सिर्फ ऐसी मर्यादायें लागू होगीं जो अन्तर्राष्ट्रीय औपचारिकता के अनुरूप हों तथा जो कानून द्वारा पूर्ण रूप से दुसरों के अधिकारों व स्वतन्त्रताओं को सम्मान व ध्यान में रखते हुए निर्धारित कि गई हो तथा वो प्रजातान्त्रीक समाज के लोक नैतिकता व कल्याण के जरूरतों के अनुसार हो।

अनुच्छेद 18

1. प्रत्येक का अपने समुदाय के प्रति व उसमें रहते हुए कुछ कर्तव्य है जिसमें उनका सम्पूर्ण व्यक्तिगत विकास सम्भव हो सके।

2. व्यक्ति, समूह, संस्थायें तथा गैर सरकारी संस्थायें प्रजातन्त्र को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं जिसमें मानवाधिकारों तथा मूल भूत स्वतन्त्रताओं को प्रोत्साहित करने में तथा प्रजातान्त्रीक समाज व संस्था को प्रोत्साहन करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

3. व्यक्ति, समूह, संस्थायें तथा गैर सरकारी संस्थायें प्रत्येक के अधिकारों के सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रोत्सान देने में अहम भूमिका निभाते हैं जिसमें यू.डी. एच.आर में अधिकार व स्वतन्त्रताऐं तथा अन्य मानवाधि ाकार उपकरणों का पूर्ण उपयोग हो सके।

अनुच्छेद 19

वर्तमान घोषणा पत्र का कोई भी उपबन्ध किसी व्यक्ति, समूह, सामाजिक निकाय अथवा राज्य को किसी भी ऐसे कार्य करने व उसमें लिप्त होने का अधिकार नहीं देता जिससे वर्तमान घोषणा पत्र की किसी भी अधिकार व स्वतन्त्रताओं का हनन हो।

अनुच्छेद 20

वर्तमान घोषणा पत्र का कोई भी उपबन्ध किसी भी राज्य को यह अनुमति नहीं देता की वह संयुक्त राष्ट्र के शासन पत्र के विरूद्ध किसी भी व्यक्तियों का समूह, संस्था अथवा गैर सरकारी संस्थाओं की कार्यवाही को प्रोत्साहन अथवा सहयोग दें।